कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश संख्या/सेवायें–2/ 376 /अन्तर्मण्डलीय स्था0/2015–16 दिनांक 27 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप/मण्डल परिवर्तन आदेश

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 यथा संशोधित–2014 व 2015 के **नियम–16** में निहित प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या–524/XXIV–नवसृजित/15–32 (01)/2013 टी0सी0–4 दिनांक 16–07–2015 के क्रम में मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0 गढवाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल से अनुरोध के आधार पर सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण हेतु स्नातक वेतनक्रम के निम्नलिखित सहायक अध्यापिकाओं से प्राप्त आवेदनों की संस्तुति के आधार पर उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख **कालम–6** में गढवाल मण्डल से कुमायूँ मण्डल में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित अध्यापिका को स्थानान्तरित मण्डल में रिक्ति की पुष्टि करने के उपरान्त ही अपर शिक्षा निदेशक, मा0शि0 द्वारा स्थानान्तरित मण्डल हेतु कार्यभार मुक्त किया जायेगा।

1. स्थानान्तरण नियमावली के नियम–16(3) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित **अध्यापिका की ज्येष्ठता मण्डल में नवीन मण्डल/सवंर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक की ज्येष्ठता के बाद निर्धारित की जायेगी** तथा इस आशय का अनुबन्ध पत्र स्थानान्तरित अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरित मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0 कार्यालय में योगदान करते समय प्रस्तुत किया जायेगा।
2. सम्बन्धित अध्यापिका को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं बाध्य प्रतीक्षा अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। मण्डल परिवर्तन के तहत् स्थानान्तरण के फलस्वरूप शिक्षकों को Y–क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जायेगा।
3. शिक्षा बन्धु एवं तदर्थ शिक्षा बन्धु को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कदापि न कराया जाय। इस हेतु संबंधित संस्थाध्यक्ष पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
4. सम्बन्धित अध्यापिका की मण्डल के अन्तर्गत स0अ0एल0टी0 के पद पर दिनांक **31–03–2015** को निर्धारित **पॉच वर्ष** से कम सेवा अवधि होने पर कदापि कार्यमुक्त न किया जाय, कार्यभार मुक्त करने से पूर्व संस्थाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित अध्यापिका के सेवा अभिलेखों से इसकी भली भाँति जॉच कर ली जाय, अन्यथा इस हेतु संबंधित शिक्षक/अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. सम्बन्धित शिक्षक विधिवत् सम्बन्धित मण्डल से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति अपर निदेशक, मा0शि0 कुमायूँ मण्डल नैनीताल कार्यालय में देंगें एवं अपर निदेशक, मा0शि0 कुमायूँ मण्डल नैनीताल द्वारा **15 दिन के अन्तर्गत** नियमानुसार सम्बन्धित शिक्षिकों की पदस्थापना की जायेगी।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0 कुमायूँ मण्डल नैनीताल द्वारा स्थानान्तरित शिक्षकों की पदस्थापना नियमानुसार काउन्सिलिंग के माध्यम से की जायेगी।

महिला शाखा–

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड/जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्थानान्तरित मण्डल का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती डिम्पल जोशी	संगीत	रा0बा0इ0का0 लैन्सडाउन (जयहरीखाल) पौडी	29-09-2008	कुमायूँ मण्डल
2	श्रीमती प्रमिला विनय	कला	रा0क0उ0मा0वि0 देवाल चमोली	05-10-2005	कुमायूँ मण्डल
3	अनुशाक्य	गृ0विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 अखोडी (भिलगना) टिहरी	12-09-2005	कुमायूँ मण्डल
4	पूर्णिमा चौधरी	गृ0विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 डुंग्री (नैनीडांडा) पौडी	15-10-2007	कुमायूँ मण्डल

27/7/15
(एन0के0बहुगुणा)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या/सेवायें–2/ 11720-29 /अन्तर्म0स्था0/2015–16 **दिनांक** 27 **जुलाई, 2015**

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, गढवाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित मण्डल से रिक्ति की पुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करवाने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अध्यापक–अध्यापिकाओं को नियमानुसार विद्यालय से कार्यमुक्त होने के उपरान्त अपने मण्डल के अपर निदेशक, मा0शि0 कार्यालय हेतु सम्बन्धित को कार्यमुक्त करेंगे।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0) सम्बन्धित जनपद।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सहायक अध्यापक/अध्यापिका को सम्बन्धित अपर शिक्षा निदेशक,/मुख्य शिक्षा अधिकरी के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर उक्त निर्देशों का भली भाँति अनुपालन करते हुए अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु नियमानुसार कार्यमुक्त करेंगे, अन्यथा वे इस हेतु स्वंय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

   उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित शिक्षक–शिक्षिकाओं से इस आशय कि :–

   "स्थानान्तरण नियमावली–2013 यथा संशोधित–2014 एवं 2015 के नियम–16(3) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित अध्यापक/ अध्यापिका की ज्येष्ठता मण्डल में नवीन मण्डल/ सवंर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक की ज्येष्ठता के बाद निर्धारित की जायेगी" का अनुबन्ध पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त कर लें, जिसे प्रतिहस्ताक्षरित कर एक प्रति उचित माध्यम से सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक–अध्यापिका को इस आशय से प्रेषित कि वे विद्यालय से कार्यमुक्त होने के उपरान्त अपनी उपस्थिति सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के उपरान्त अपर निदेशक, मा0शि0 सम्बन्धित मण्डल कार्यालय में उपस्थिति देंगे, जहाँ से उन्हें स्थानान्तरित मण्डल हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा।
10. सूचना प्रकोष्ठ।
11. कार्यालय अभिलेख हेतु।

27/7/15

(ए0डी0बलोदी)
संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।